–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 23/2025

उनवान

हर्षवर्धन मेवाडा पुत्र कन्हैयालाल मेवाडा जाति कलाल निवासी बान्दनवाडा, भिनाय, अजमेर
—— प्रार्थी :– जरियें अधिक्ता श्री रणजीत रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— अप्रार्थी :– 1 जरियें जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 18.8.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 4053/0.28 व 4060/0.20 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 4057/4545 से अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 4057 व 4062 का उपयोग करते है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थी के पास एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। अतः प्रार्थी को उक्त आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 4053/0.28 व 4060/ 0.20 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। हाल खसरा नम्बर 4057/4545 रकबा 0.20 गै.मु. सडक है। हाल खसरा नम्बर 4057 व 4062 सिवायचक खातें में है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 4057/4545 से अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 4057 व 4062 I उपयोग करते है। तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास अन्य कोई लघुतम/दीर्घतम मार्ग उपलब्ध नही है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये मार्ग को दिये जाने की अभिशंषा तहसीलदार नसीराबाद द्वारा की गयी है। राजस्व मानचित्र अनुसार भी प्रार्थी के पास अनय कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। प्रकरण में कोई खण्डन तहसीलदार नसीराबाद द्वारा पेश नही किया गया है। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज व मौका रिपोर्ट से रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता भी सिद्व होती है। प्रार्थी को कृषि कार्य हेतु रास्ते की आवश्यकता है। जिके लिये 30 फिट चौडे रास्ते की आवश्कता सिद्व नही होती है। अतः प्रार्थी 15 फिट चौडा रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "[illegible] किया जाता है। ग्राम झडवासा के हाल खसरा 4057 में से 68.55 वर्ग मी[illegible] 285.06 वर्ग

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:05:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

मीटर (4.57 मीटर चौडा चौडा) रास्ता दिये जाने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद रास्ते की भूमि के बदले 208219/रूपये अक्षरे दो लाख आठ हजार दो सौ उन्नीस रूपये राजकोष में भुगतान होने के बाद उक्त भूमि गै.मु. रास्ता सिवायचक खातें में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:05:15 IST
Reason: SelfAttested